नगर निगम यमुनागर-जगाधरी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अधीन बैंकों के साथ सहयोग में विभिन्न कम्पनियों/ विनिर्माताओं द्वारा सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिब्लिटी) अधीन ज़रूरतमंद पैडल रिक्शा पुलर्स को ई-रिक्शा वितरित करना चाहता है। इसलिए यह निगम नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी द्वारा चयनित लाभार्थियों को 100 अदद ई-रिक्शा की आपूर्ति हेतु विनिर्माताओं से ई-निविदा आमंत्रित करता है। ई-रिक्शा की आपूर्ति हेतु इच्छुक पार्टियां आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को अपने भुगतान विवरण सहित अपनी इच्छा भेज सकते हैं।

ई-रिक्शा का विनिर्देशन

1. पार्टी सीएसआर द्वारा आरसी तथा इंश्योरेंस खर्च सहित ई-रिक्शा के कुल रोड मूल्य का 10 प्रतिशत वहन करेगी तथा 90 प्रतिशत राशि प्राधिकृत बैंकों से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अधीन जुड़ी होगी।
2. पार्टी पिछले 5 वर्ष से ई-रिक्शा विनिर्माण की प्रक्रिया में होनी चाहिए।
3. वरीयता सरकारी, अर्द्धसरकारी, संस्थानों, एनजीओ इत्यादि को ई-रिक्शा की आपूर्ति का अनुभव रखती पार्टी को दी जाएगी।
4. विनिर्माता I-सीएटी तथा परिवहन आयुक्त हरियाणा सरकार से अनुमोदित ई-रिक्शा विनिर्माताओं की सूची में होना चाहिए।
5. इच्छुक पार्टी का यमुनानगर अथवा जगाधरी में एक डीलर होना चाहिए।
6. आपूर्ति किए जाने वाले ई-रिक्शा में निम्न होना चाहिए।
   क) न्यूनतम मोटर वॉटेज 900 वॉट
   ख) न्यूनतम ग्रोस वाहन भार 700 किग्रा.
   ग) यात्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम 25 किमी./ घंटा की स्पीड
7. पार्टी बिक्री के पश्चात ग्राहक को 1 वर्ष से कम से कम 12 निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगी।
8. ई-रिक्शा का इंश्योरेंस एवं पंजीकरण प्राप्त करने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
9. पार्टी पीएसयू बैंकों से ई-रिक्शा की 90 प्रतिशत फायनेंसिंग का प्रबंध करेगी।
10. इच्छुक पार्टियां 17.4.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक अपने पूर्ण प्रस्ताव जमा करा सकती हैं तथा 17.4.2017 को अप. 3.00 बजे नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी की उप समिति के समक्ष पेश होंगी।

आयुक्त
नगर निगम
यमुनागर-जगाधरी

48450